09999	विनि. प्ररूप-14
ESIC No	स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए दावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम
	(विनियम 76 क)
में	जो
का पुत्र⁄पत्नी⁄पु	त्री हूँ और मेरा बीमा संख्या
कारण तदनुसार	चिकित्सा अपील अधिकरण∕कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा स्थायी रूप से अपंग घोषित किए जाने के सेसेसे
के लिए स्थायी	अपंगता हितलाभ का दावा करता हूँ/करती हूँ।
देय रकम	1 का संदाय, मुझे मनीआर्डर से⁄शाखा कार्यालय में नकद किया जाए।
	दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान साफ अक्षरो में नाम
तारीख	व वर्तमान पता
	कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा तथा 6 महीने तक की कारावास अथवा 2000/- रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। REG. FORM-14 CLAIM FOR PERMANENT DISABLEMENT BENEFIT EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION (Regulation 76-A)
I	s/w/d of
Insurance No	having been declared as permanently disabled by the
Medical Boar	d/Medical Appeal Tribunal/Employees' Insurance Court, claim Permanent Disablement
Benefit accor	rdingly fo the period from to
The a	mount due may be paid to me by money order/in cash at Branch Office.
	Signature or Thumb impression of the Claimant
	Name in block letters
Datad	and address
Dated	
Important :	Any person who makes a false statement or misrepresentation for the purpose of ob- taining benefit, whether for himself or for some other person, commits an offence pun- ishment with imprisonment for a term which may extend up to six months or with a fine

up to Rs. 2,000/- or with both.